राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.2299सीसी / स्वा.का.पु. / 2024 / 64 दिनांक :– 15/03/2024

<u>आदेश</u>

प्रकरण एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 5143 / 2023 शफी मोहम्मद व अन्य 40 स्वास्थ्य कार्य0 पु0 बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2023 को निम्न निर्णय पारित किया।

" Learned counsel for the petitioners submits that the petitioner would be satisfied if her representation is decided by the respondents in light of the aforequoted judgment of Dadam das vaishnav (supra).

"In light of the aforequoted judgment, the writ petition is disposed of with the direction to the respondents to decide the representation of the petitioner in terms of Dadam das vaishnav's case(supra) within a period of 30 days from today strictly in accordance with law. "

कि दाडमदास वैष्णव व अन्य का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू) से संबंधित है जिसमें निर्धारित योग्यता सैकण्डरी या समकक्ष के साथ 18 माह (जिसे बाद में 12 माह सशोंधित किया गया) के हेल्थ वर्कर मेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना आवश्यक था।

उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता आमेलित / समायोजित कार्मिक है जिनकी नियुक्ति फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर / मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने एवं याचिकाकर्ता समायोजित / आमेलित पुरुष होने से याचिकाकर्ता का प्रकरण गोविंद दान चारण के प्रकरण के समान है।

गोंविद दान चारण व अन्य का प्रकरण समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर / मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर पदों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के पद पर समायोजित / आमेलित किया गया, उक्त समायोजित / आमेलित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के संबंध में गोविन्द दान चारण से कवर्ड मानते हुए क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में याचिकाकर्ताओं श्री शफी मोहम्मद व अन्य 40 स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को माननीय न्यायालय जोधपुर / जयपुर में विभिन्न दायर याचिकाओं के अंतर्गत प्रकरण गोविंद दान चारण से कवर्ड हुये चयनित वेतनमान देने के निर्देशों की पालना में संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान किया गया है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक 55 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर / मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने से याचिकाकर्ता समायोजित स्वा.कार्य.पु. होने से एवं प्रकरण गोंविद दान चारण के प्रकाश में क्रमशः 09, 18 एवं 27 वर्ष पर क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

प्रकरण मे उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ताओं श्री शफी मोहम्मद व अन्य 40 स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष का प्रकरण समायोजित कार्यकर्ता पुरुष का होने से पूर्णतया गोविन्द दान चारण प्रकरण से कवर्ड होने पर न्यायिक निर्णय की पालना में गोंविद दान चारण के प्रकाश में संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाने से एवं याचिकाकर्ताओं का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष दाडमदास वैष्णव के प्रकरण से कवर्ड नहीं होने से याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से जांच करने से याचिकाकर्ताओं द्वारा दाडमदास वैष्णव के प्रकाश में चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नहीं होने से अभ्यावेदन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ.2299.सीसी / स्वा.का.पु. / 2024 / 64 दिनांक :– 15/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
3. संबंधित याचिकाकर्ताओं को द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
4. वेबसाइट हेतु प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5935601

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESHKUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma I
Designation : Director
Date :14-03-2024 03:48:24